

I/426/2019

भारतीय सर्वेक्षण विभाग

SURVEY OF INDIA

निदेशक का कार्यालय	OFFICE OF DIRECTOR
पूर्वी मुद्रण वर्ग	Eastern Printing Group,
14, वुड स्ट्रीट,	14, Wood Street
कोलकाता-700016 (प०ब०)	Kolkata-700016 (W.B.)
दूरभाष सं०: 033-22876950	Phone No. 033- 22876950
फैक्स सं०: 033- 22834694	Fax No. 033- 22834694
ई-मेल: <a href="mailto:epg.kol.soi@gov.in">epg.kol.soi@gov.in</a>	E-mail: <a href="mailto:epg.kol.soi@gov.in">epg.kol.soi@gov.in</a>

पूर्वी मुद्रण वर्ग, नेमी आदेश सं० 07/37-G-15(EPGRO) दिनांक 25-11-2019

EASTERN PRINTING GROUP, ROUTINE ORDER NO. 07/37-G-15(EPGRO) DATED 25-11-2019

1. स्थानान्तरण पर आये ( REPORTED ON TRANSFER) :-

इस केन्द्र में निम्नलिखित कर्मचारी स्थानान्तरण पर उपस्थित हुए :-

The undermentioned employee is reported in this office on transfer :-

क्र० सं० Sl.No.	नाम एवं पदनाम Name & Designation	किस कार्यालय से स्थानान्तरण हुए Transferred from which office	स्थानान्तरण की दिनांक date of transfer	टिप्पणी Remarks
				DSPG.'s Movement Order No.C-701/17-Y-31/SPG dtd. 30.09.19 / निदेशक दक्षिणी मुद्रण वर्ग

1.	श्री सीएच नरसैया , एम टी एस / Shri Ch. Narasaiah, MTS	निदेशक, दक्षिणी मुद्रण वर्ग उप्पल, हैदराबाद / Director, Southern Printing Group, Uppal, Hyderabad	14-10-2019	आदेश सं सी -701/17-Y-31/एस पी जी
----	---	--	------------	----------------------------------

II. सरकारी सेवा पर बरकरार रखना :-

भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय में गठित पुनरीक्षण समिति के द्वारा इस निदेशालय के निम्नलिखित सरकारी अधिकारी 30 वर्ष की अहेक सेवा पूरी करने पर, जेसा की उनके नाम के सामने दर्शाया गया है , सरकारी सेवा में रहना स्वीकार कर लिया है :-

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	30 वर्ष की अहेक सेवा पूर्ण
1	श्री सजल कुमार घोष	वरिष्ठ रिप्रोग्राफेर	30 वर्ष की अहेक सेवा पूरी करने पर ।

Retention in Govt. Service

The following Govt . Officer of this office are hereby allowed to be retained in Govt. Service on completion of 30 years of service on the recommendation of Special Review Committee conducted in Surveyor General's Office :-

Sl. No.	Name	Designation	Completion of 30 yrs service
1	Shri Sajal Kumar Ghosh	Sr. Reprographer	On completion of 30 yrs service

( Authority : No. C-90/11-J-3(RC) dated 21.08.2019 )

III. भारतीय सर्वेक्षण विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को एम ० ए ० सी ० पी ० स्कीम के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान करने के संबंध में।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं ० 35034/3/2008-स्था०(डी) दिनांक 16.11.2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में भारत के महासर्वेक्षक के पत्र संख्या सी - 6094/1902-एम ए सी पी (गुप डी ) दिनांक 17.10.2019 के द्वारा इस निदेशालय के गुप "सी"(पूर्व गुप डी ) कार्यरत निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सामने दर्शायी गयी तारीख से केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए एम ० ए ० सी ० पी ० योजना के तहत वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्र ० सं ०	नाम	पद	वित्तीय उन्नयन का तिथि	वित्तीय उन्नयन का मात्रा	वित्तीय उन्नयन का लेवल
1.	श्रीमती सुकरी देवी	एम टी एस	01.06.2019	द्वितीय	3

I/426/2019

2	श्री राजेश हरी	सफाई वाला	07.06.2019	द्वितीय	3
3	श्री राजेंद्र राय	तकनीकी श्रमिक	01.03.2019	त्रितियो	4

In pursuance of the instructions contained in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) O.M. No. 35034/3/2008-Estt.(D) dated 16.11.2009 and SG's letter No. C-6094/1902-MACP(Group D) dated 17.10.2019, the undermentioned Group 'C' (erstwhile Gr. D) officials of this Directorate are granted Financial Upgradation under the Modified Assured Career Progression (MACP) Scheme for the Central Govt. Civilian Employee(s) with effect from the date as mentioned against his name :-

SL. No.	Name	Designation	Dt. Of MACP	Quantum of MACP	Level of MACP
1.	Smt. Sukri Devi	MTS	01.06.2019	Second	3
2	Shri Rajesh Hari	Safaiwala	07.06.2019	Second	3
3	Shri Rajendra Ray	T/L(S/S) Retd.	01.03.2019	Third	4

- उपरोक्त कर्मचारी को एम ० ए ० सी ० पी ० योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर नए वेतनमान (पे मैट्रिक्स) में वेतन निर्धारण हेतु एफ ० आर ० 22(1)(क)(1) के अधीन अपना विकल्प देना होगा। इनके वेतन का निर्धारण कार्यालय अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

The above individuals are required to exercise an option under Rule FR 22(1)(a)(1) for fixation of pay for grant of Financial upgradation under MACP scheme. The pay of the above individual will be fixed by the Head of Office.

- इस संबंध में होने वाला व्यय इस निदेशालय के वर्ष 2019-2020 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा एवं समुचित लेखा शीर्ष में समायोजित किया जाएगा।

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of this office for the year 2019-2020 and debited to appropriate head of account.

Signature Not Verified  
Digitally signed by SANJAY KUMAR  
Date: 2019.11.28 15:38:53 IST

( संजय कुमार )  
निदेशक

वितरण :-

- भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून के सूचनार्थ।
- अपर महासर्वेक्षक, मुद्रण क्षेत्र, देहरादून को सूचनार्थ।

ई-मेल के द्वारा

I/426/2019

3. वरिष्ठ लेखाधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, कोलकाता।

4. प्रभारी, विभागीय वेबसाइट, द्वारा नेशनल जी० डी० सी०, देहरादून को ई-मेल (admn.soi@gov.in) के माध्यम से विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।

5. स्थापना एवं लेखा अधिकारी / प्रभारी वेतन अनुभात।

6. गार्ड फाईल / 4-F-1(MACP)/4-F-12 संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों की व्यक्तिगत फाईल।

क्र.सं.	विवरण	प्रकार	स्थिति	टिप्पणी
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				